

UPJS010019712025



न्यायालय विशेष न्यायाधीश (आव०वस्तु अधि०)/अपर सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

उपस्थित:-शिव कुमार तिवारी (उच्चतर न्यायिक सेवा)

जे०ओ० कोड-UP1646

सत्र परीक्षण संख्या-601/2025

सरकार

बनाम

गौरी शंकर वाल्मीकि।

धारा-138 (b) विद्युत अधिनियम।

थाना-एण्टी पावर थैफ्ट, जिला-झाँसी।

अ०सं०-908/2021

दिनांक-25-06-2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभियुक्त **गौरी शंकर वाल्मीकि** पुत्र श्री काशीराम वाल्मीकि, पता-अम्बेडकर नगर बीएचईएल, थाना-बबीना, जिला-झाँसी के विरुद्ध धारा-138 (b) विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। विद्युत विभाग द्वारा पत्रांक/प्रार्थनापत्र कागज संख्या-4 ए इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त ने धारा-152 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत शमन शुल्क एवं राजस्व निर्धारण की धनराशि जमा कर दी है। वाद का निस्तारण करने में विद्युत विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही के निस्तारण में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री देवेश श्रीवास्तव द्वारा उपरोक्त पत्रांक को अग्रसारित किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया।

प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा-138 (b) विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। कागज संख्या -4 ए के अनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण धनराशि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि० ग्वालियर रोड, मुन्नालाल पावर हाउस, बी०के०डी० चौराहा के पास, झाँसी के कार्यालय में जमा करायी जा चुकी है। वाद का निस्तारण करने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः आवेदक/अभियुक्त द्वारा शमन शुल्क एवं राजस्व की सम्पूर्ण धनराशि जमा कर देने के कारण विद्युत अधिनियम की धारा-152(2) के अनुसार उक्त अपराध का शमन हो गया है एवं उपरोक्त प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त किये जाने योग्य है। तदनुसार, उपरोक्त पत्रांक के आधार पर वाद की कार्यवाही समाप्त किये जाने योग्य है।

आदेश

विद्युत विभाग का पत्रांक/प्रार्थनापत्र कागज संख्या-4 ए स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षों के मध्य शमन के आधार पर आवेदक/अभियुक्त **गौरी शंकर वाल्मीकि** पुत्र श्री काशीराम वाल्मीकि, पता-अम्बेडकर नगर बीएचईएल, थाना-बबीना, जिला-झाँसी को दोषमुक्त किया जाता है। कागज संख्या-4 ए के आधार पर वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार अभिसंचित हो ।

दिनांक-25.06.2026

(शिव कुमार तिवारी)

विशेष न्यायाधीश (आव०वस्तु अधि०)/

अपर सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

(जे०ओ० कोड-1646)

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया ।

दिनांक-25.06.2026

(शिव कुमार तिवारी)
विशेष न्यायाधीश (आव०वस्तु अधि०)/
अपर सत्र न्यायाधीश, झाँसी।
(जे०ओ० कोड-1646)